

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	------------------------------------	--

-04-26 पत्रावली पेक्षा हुई। वक्तुलाम पक्षकारान उपा। अग्रणी संख्या 4 जवाब पेक्षा नहीं करता चाहते हैं। इकसल फाय पेक्षा करने हेतु समझा गया। अग्रणी सं. 1 लग. 2 को जवाब हेतु अतिरिक्त अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 18.05.26 को पेक्षा हो।

18.05.26 पत्रावली पेक्षा हुई। वक्तुलाम पक्षकारान उपा। अग्रणी संख्या 1 लग. 4 ने कोई अवसर के बाद भी जवाब पेक्षा नहीं किया। अतः उनका जवाब खण्ड किया जाता है। बहस पर सुना गया। बहस पर अनन किया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया गया। जिससे एच इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि विवादित आशुजीमार के संबंध में पक्षकारान के हकों सिद्धारिण दायें में साक्ष्यन सबूतों के परीक्षण के उपरांत व गुणवगुण के आधार पर हो सकेगा।

ऐसी सूरत में अनावश्यक मुकदमा वाजी नहीं बंद एवं काबूनी पेचीदगीयों पेक्षा नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुये अग्रणी पत्र प्रथमिगल स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय एजल फास जारी शुपु अस्माई निषेधाजा दिनांक 02.07.25 को हाँकेसला मूलवाद पुष्ट किया जाता है।

पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर सेफग हो, तथा संलग्न मूल वाद हो।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज